

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (पशु -चिकित्सा सेवाए)
17 वा तल, जे . एल. एन . मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी
सिविक सेंटर, नई दिल्ली 110002

“आवश्यक आदेश”

नंबर 01/DVS/SDMC/2021

दिनांक: 13.01.2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 10 राज्यों में बर्ड फ्लू होने के कारण इसकी रोकथाम एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु तथा Govt. of NCT of Delhi द्वारा Whole Sale Poultry Market को बंद करने के साथ साथ दिल्ली में Polutry व Unprocessed Poultry Meat के आयात पर रोक लगाने के दिनांक 09.01.2021 के आदेश के सम्पूरक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधीन - सभी मीट की दुकानों, मीट प्रोसेसिंग इकाइयों व किसी भी अन्य स्थान पर जीवित poultry (मुर्गा व मुर्गिया इत्यादि) रखने, उनका क्रय- विक्रय करने तथा उनके मास की Processing, Packaging व बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबन्ध है ।


अतः इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को सूचित किया जाता है की जनहित में जारी इस आदेश का पूर्णतह पालन करे ।

क्षेत्रीय उप- निदेशकों (पशु चिकित्सा सेवा विभाग) द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा बिना अग्रिम सूचना दिए उनका मीट Trade License तुरंत निरस्त किया जाएगा ।

सभी रेस्टोरेंट संचालकों को भी निर्देश दिया जाता है कि poultry meat & polultry product एवं अंडे का व्यंजन ना परोसे अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी ।

जन सामान्य से भी अनुरोध किया जाता है कृपया पक्षियों की असमान्य मृत्यु या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर Helpline-01123890318 पर सूचित करे ।

धन्यवाद !


13/01/2021
निदेशक
पशु चिकित्सा सेवाए विभाग